राजस्थान सरकार

निदेशालय खान एवं भू–विज्ञान विभाग

खनिज भवन, शास्त्री सर्कल, उदयपुर

e-mail : dmgoms.uda.mg@rajasthan.gov.in

क्रमांकःDMG/DMGOMS/NMET/2020/66 दिनांकः 31.01.2023

कार्यालय आदेश

निदेशालय आदेश दिनांक 20.01.2023 के क्रम में प्रधान खनिज के खननपट्टाधारीयों हेतु विभागीय ऑनलाईन सिस्टम में NMET (नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट) राशि के ऑनलाईन भुगतान का प्रावधान उपलब्ध कराया गया है। जिसके अन्तर्गत प्रधान खनिज के खननपट्टाधारीयों द्वारा विभागीय लोगिन के माध्यम से चालान जनरेट कर NMET राशि का अग्रिम भुगतान किया जा सकता है एवं खननपट्टाधारी द्वारा जमा करायी गयी यह राशि उनके डिमाण्ड रजिस्टर के NMET हेड में देखी जा सकती है।

उक्त प्रावधान के अन्तर्गत दिनांक 01.02.2023 से ई–रवन्ना जनरेशन के साथ ही भुगतान योग्यNMETराशि की ऑनलाईन गणना/कटौती कर संबंधित खननपट्टाधारी के डिमाण्ड रजिस्टर के NMET हेड में प्रदर्शित की जायेगी।

अतः समस्त प्रधान खननपट्टाधारीयों को निर्देशित किया जाता है कि वे अभी तक की बकाया NMETराशि को दिनांक 10.02.2023 तक भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। साथ हीदिनांक 11.02.2023 से संबंधित खननपट्टाधारी के NMET हेड (डिमाण्ड रजिस्टर) मेंई–रवन्ना से पूर्व प्रर्याप्त (पोजिटीव बैलेंस) का होना आवश्यक होगा अन्यथा संबंधित द्वारा ई–रवन्ना जनरेट नहीं की जा सकेगी।

इस क्रम में समस्त कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने क्षेत्राधिकार के खननपट्टों द्वारा दिनांक 31.01.2023 तक जारी ई–रवन्ना के अनुसार बनने वाली NMETराशि की गणना करावे एवं दिनांक 31.01.2023 तक मेनुअल चालान के माध्यम से जमा करायी राशि से इसका मिलान कर डेबिट–क्रेडिट नोट में उपलब्ध NMETप्रावधान के जरिये बकाया/अग्रिम भुगतान राशि को दिनांक 10.02.2023 तक संबंधित खननपट्टाधारीयों के NMET हेड में इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करें।

(पी.आर. आमेटा)

अति. निदेशक खान (पर्या. एवं विकास)

एवं नोडल अधिकारी DMGOMS

AnyScanner

क्रमांकः DMG/DMGOMS/NMET/2020/67-86 दिनांकः 31.01.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक, के. कार्यालय, उदयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, केन्द्रीय कार्यालय उदयपुर को सूचनार्थ।
3. अतिरिक्त निदेशक खान (मु0)/पर्या. एवं विकास (मु0) /सर्तकता (मु0)/भू–विज्ञान (मु0) / जयपुर/उदयपुर/जोधपुर/कोटा।
4. तकनीकी सहायक (निदेशक), के.कार्या, उदयपुर।
5. अधीक्षण खनि अभियंता (मु0)–I/II/III ।
6. अधीक्षण खनि अभियंता (वृत्त)/सतर्कता।
7. समस्त खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता को भेजकर लेख है कि अपने क्षेत्राधिकार के समस्त प्रधान खनिजों के खननपट्टाधारको को इस हेतु सूचित करा NMET राशि को ऑनलाईन लिया जाना सुनिश्चित करावें।
8. समस्त खनि अभियंता(सर्तकता)/सहायक खनि अभियंता (सर्तकता)
9. विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

(पी.आर. आमेटा)
अति. निदेशक खान (पर्या. एवं विकास)
एवं नोडल अधिकारी DMGOMS

AnyScanner